न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 123/2020 **दायर दिनांकः 21/08/2020**

उनवान

1. द्वारकाबाई उर्फ द्वारकीबाई आयु 77 वर्ष पत्नि स्व, मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 112 ख0नं0 122 रकबा 2.13. है0 किता 1 रकबा 2.13 है0 आराजी वादिया के खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमे वादिया का नाम द्वारकीबाई दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 134 की ख0नं0 118 रकबा 3.27 है0, ख0नं0 123 रकबा 2.18 है0, ख0न0 124 रकबा 2.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 2.15 है0, ख0नं0 126/1191 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 रकबा 9.95 है० आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमे वादिया का नाम द्वारकाबाई दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर हैं। वादिया के राशन कार्ड, आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजो में वादिया का नाम द्वारकाबाई पत्नि मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी छैलाबेल दर्ज है। जिसकी छाया प्रतिया वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादिया का नाम द्वारकीबाई सहवन से दर्ज हो गया था। जबकि वादिया का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद, नं० 2 मे वर्णित आराजी व वाद पत्र की मद नं० 3 मे वर्णित दस्तावेजो में द्वारकाबाई दर्ज हैं। जो वादिया का सही नाम हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी मे वादिया का गलत नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

द्वारकीबाई दर्ज होने के कारण वादिया अपनी आराजी का कृषि विकास नही करवा पा रही हैं तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने में काफी परेशानी का समना करना पड रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादिया का नाम द्वारकीबाई के स्थान पर सही नाम द्वारकाबाई करवाया जाना सम्भव नही हैं। यदि वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी मे वादिया का वास्तविक नाम द्वारकाबाई दर्ज नही किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पावेगी। जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। अस्तु वादिया प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में द्वारकीबाई के स्थान पर सही नाम द्वारकाबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 04.08.2020 को नकल लेकर प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के लिए आवेदन करने पर व अन्तिम बार दिनांक 05.08.2020 को जमाबन्दी में गलत नाम द्वारकीबाई दर्ज होने के कारण आवेदन निरस्त हो जाने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी भूमि धारक होने व वाद नाम दुरुस्ती होने के कारण राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकारा तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को इस वाद को सनने के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादिया का नाम द्वारकीबाई के स्थान पर सही नाम द्वारकाबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। अभिभाषक वादिया द्वारा साक्ष्य पेश नही कर सीधे ही बहस करना चाहता है।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया, तथा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 2.13 है0 में वादिया का द्वारकीबाई दर्ज है। जो गलत है। प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार सही नाम द्वारकाबाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 2.13 है0 में वादिया का नाम द्वारकीबाई पत्नि मोहनलाल दर्ज है। तथा ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 134 किता 5 रकबा 9.95 है0 में सहखातेदार के रूप में द्वारका बाई पत्नि स्व0 मोहनलाल दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, में वादिया का नाम द्वारकाबाई दर्ज है।

अतः प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित मे स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 2.13 है0 में वादिया का नाम द्वारकीबाई पत्नि मोहनलाल के स्थान पर द्वारकाबाई पत्नि मोहनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 123/2020

उनवान

1. द्वारकाबाई उर्फ द्वारकीबाई आयु 77 वर्ष पत्नि स्व, मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 2.13 है0 में वादिया का नाम द्वारकीबाई पत्नि मोहनलाल के स्थान पर द्वारकाबाई पत्नि मोहनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/01/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)